



2026:AHC:32496

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4561 सन् 2026

मुन्नु @ मुकेश

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 11 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : रवींद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई थी, जो प्रतिवादी संख्या 3-अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट, ब्रह्मपुरी, मेरठ के समक्ष विचारार्थ लंबित है। उक्त कार्यवाही में याचिकाकर्ता द्वारा 30.10.2025 को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। चूंकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए रिट याचिका प्रस्तुत की जाती है।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 3 को संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर उपरोक्त आवेदन पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"